मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट कब्जाने पर आमादा जजों की ओर से भी बचाव अभियान 3
- नोटबंदी के बाद भाजपा के खाते में आया 81 फीसदी अधिक चंदा 4
- भारत में महिला आयोग और महिला विकास मंत्रालय है या उठ चुकी है अर्थी 5
- मंत्री विपुल के न चाहते हुए भी पॉल्यूशन बोर्ड ने थूका हुआ चाटा 8

वर्ष 31 अंक -16 फ़रीदाबाद 15-21 अप्रैल 2018 फ़ोन : - 9999595632 ₹ 2

मोटी रिश्वत से बनते रहे शस्त्र लाइसेंस, अब जांच में पकड़े अपराधी से खुली पोल

फ़रीदाबाद (म.मो.) किसी अपराधी को शस्त्र लाइसेंस न मिल पाये इसके लिये पुलिस द्वारा कड़ी जांच का प्रावधान बहुत पुराना है। इसके बावजूद भी 2016 में यूपी के थाना दादरी का एक घोषित अपराधी सतबीर फरीदाबाद से शस्त्र लाइसेंस बनवाने में कामयाब हो गया।

जैसा कि '**मज़दूर मोर्चा**' में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है कि सुभाष यादव के कमिश्नर पद से जाने के बाद और अमिताभ ढिल्लों के आने से पूर्व के करीब 2 वर्ष यह ज़िला बिना पुलिस कमिश्नर के ही चलता रहा। जो कमिश्नर यहां नामचारे को तैनात थे भी केवल राजनेताओं द्वारा जारी आदेशों पर अंगूठा लगाते थे। उसी दौरान यह शस्त्र लाइसेंस जारी हुआ था। यही अकेला नहीं, और कितने ऐसे ही लाइसेंस जारी हुए होंगे, जांच के बाद ही पता चलेगा।

नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदन को सम्बन्धित जोन के डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को भेजा जाता है। चौकी प्रभारी की रिपोर्ट की तसदीक थाना प्रभारी, एसीपी व डीसीपी करते हैं। सभी की रिपोर्ट सही पाये जाने के पश्चात् ज्वायंट पुलिस कमिश्नर शस्त्र लाइसेंस जारी करता है।

जाहिर है, सारी प्रक्रिया सतबीर के मामले में भी पूरी की गयी थी। फ़िर खामी कहां रह गयी? कैसे पुलिस को पता नहीं चल पाया कि जो सतबीर अपने आप को गांव मवई थाना भोपानी का स्थाई निवासी घोषित कर रहा है वह यूपी के थाना दादरी के गांव डावरा का मूल निवासी है; जो वहां अपराध करके यहां पहचान बदल कर रह रहा था। जो पुलिस पाताल से भी अपराधी व सबूत को खोज लाने में सक्षम हो उसकी नज़रों से सतबीर का बच पाना संभव हुआ है तो केवल राजनीतिक और रिश्वत के दबाव से।

पुराने वक्तों में पुलिस वैरीफ़िकेशन के नाम पर न तो कोई आधार कार्ड न वोटर कार्ड न राशन कार्ड मांगते थे, क्योंकि ये सब ड्रामे उस वक्त होते ही नहीं थे लेकिन पुलिस के एक सिपाही की लिखी हुई तसदीक शत प्रतिशत सही होती थी।

फर्जी जांच के दम पर लाईसेंस लेने वाला अपराधी सतबीर

सही इसलिये होती थी कि ग़लत पाये जाने पर, नीचे से ऊपर तक कोई अधिकारी उसे बख्शने वाला नहीं होता था।

अब किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं रह गयी है। केवल उक्त दस्तावेज़ों की फ़ोटो कॉपी तथा किन्हीं दो पड़ोसियों के झूठे सच्चे बयान लगाकर फ़ाइल का पेटा भर दिया जाता है। पूछताछ होने पर सम्बन्धित पुलिसकर्मी (चाहे वह सारी हकीकत जानता भी हो) कह देता है कि नियमानुसार उसने वैरीफ़िकेशन हेतु सम्बन्धित दस्तावेज लगा तो दिये। अब यदि दस्तावेज ही ग़लत एवं फ़र्जी बने हों तो उसकी क्या गलती है? पकड़ो उसको जिसने ये फ़र्जी दस्तावेज तैयार करे हैं या करने में सहयोग दिया है।

मौजूदा केस में पुलिस ने सतबीर को तो गिरफ़्तार कर लिया है अब देखना है कि पुलिस कमिश्नर ढिल्लों उससे पूछताछ के बाद और कितने, उन अधिकारियों को नाप सकते हैं जिन्होंने सतबीर को लाइसेंस दिया अथवा दिलाने में सहयोग दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मवई गांव के लोग बाकायदा तत्कालीन सीपी हनीफ़ कुरैशी से यह कहने आये थे कि सतबीर उनके गांव का मूल निवासी नहीं हैऔर अपराधी प्रवृत्ति का युवक है। कुछ जानकार तो यहां तक भी बताते हैं कि गांव वालों ने सीपी को उसके अपराधों का विवरण व थाने का नाम तक भी बता दिया था। जब भी सतबीर के विरूद्ध हत्या के प्रयास, लूटपाट और जबरन कब्जे के 18 मुकद्मे थे।

दिनांक 10 जून 2016 को जब सतबीर का लाइसेंस बनाया गया उस वक्त यहां ज्वायंट सीपी के पद पर डीआईजी जगदीश नागरा तैनात थे। सारी जानकारी होने के बावजूद डीआईजी नागरा ने यह लाइसेंस कैसे और क्यों जारी कर दिया? विदित है कि उस वक्त केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के मामा श्री ही सीपी कार्यालय का सारा काम-काज सम्भालते थे और शस्त्र लाइसेंस बनाने का रेट 2 से 4 लाख तक का बताया जाता था। सतबीर के लिये परोक्ष में तो मामा श्री ने काम किया ही, प्रत्यक्ष रूप से एक भाजपा पार्षद ने भी।

संदर्भवश यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि जब उच्चाधिकारी किसी को लाइसेंस देने का सौदा तय कर चुके होते हैं तो नीचे के अधिकारियों से भी मनमाफ़िक रिपोर्ट प्राप्त करने का दबाव बनाते हैं। ऐसे में फ़ंसता है तो केवल नीचे वाला सबसे छोटा

शेष पेज दो पर

पीपीपी मोड का कमाल : बिना डॉक्टर के करता डायलेसिस बीके अस्पताल

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत 3 वर्षों से लगातार हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की लम्बी-लम्बी हांकने वाले मुख्यमंत्री खट्टर का कमाल है कि यहां के बादशाहखान अस्पताल में बिना डॉक्टरों के ही डायलेसिस हो रहा है। सुधी पाठक जानते होंगे कि जिनकी किडनी ठीक काम नहीं करती उनके खून से यूरिया यानी मूत्र निकालने के लिये डायलेसिस किया जाता है। इसके लिये एक किडनी विशेषज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर व एक मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में मशीन द्वारा टेक्नीशियन इस क्रिया को सम्पन्न करते हैं।

झूठ बोलने में महारत रखने वाली भाजपा के मुख्यमंत्री खट्टर ने शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए डीसी डीसी नामक एक प्राइवेट कम्पनी को अपने सरकारी अस्पताल के द्वितीय तल पर कुछ जगह व अन्य सुविधायें देकर बैठा दिया है। इस कम्पनी ने एक पुरानी सी डायलेसिस मशीन व 2-4 टेक्नीशियन यहां तैनात कर दिये हैं जो मरीजों से 1200 रुपये लेकर उनका डायलेसिस कर देते हैं। मजे की बात तो यह है कि इन मरीज़ों का यहां कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जाहिर है ऐसे में इनका कोई रिकार्ड भी यहां नहीं रखा जा सकता। कम्पनी व सरकारी अस्पताल को इसका यह फ़ायदा रह सकता है कि कल को यदि किसी मरीज के साथ कुछ ऊंच-नीच हो जाय तो ये साफ़ मुकर जायेंगे कि उक्त मरीज कभी उनके पास आया भी था।

अपनी जान को जोखिम में डाल कर केवल वही मरीज यहां आते हैं जिनके पास व्यापारिक अस्पतालों में देने के लिये ढाई-तीन हज़ार रुपये नहीं होते। जाहिर है व्यापारिक अस्पताल जो इतनी अधिक कीमत एक डायलेसिस की लेता है उसमें डॉक्टरों के खर्च के साथ-साथ अपने अस्पताल यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत और

शेष पेज दो पर

बलात्कारी विधायक है पुराना संघी, इसलिए योगी नहीं कर पाये उस पर हाथ डालने की हिम्मत

जनज्वार विशेष

योगी ने एक मंत्री को रेप के आरोप से किया बरी तो बलात्कारी विधायक की नहीं की गिरफ्तारी।

ख्यात बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा बोलीं सरकार को बेटी बचाओ का नारा बदलकर कर देना चाहिए 'बेटी हमसे बचाओ'।

उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में ही मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिटाई की वजह से पीड़िता के पिता की आंत फट गई, जो उनकी मौत का कारण बना। युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर उसके पिता पर बलात्कार का केस वापस लेने का दबाव डाल रहे थे, और यह बात जो वीडियो सामने आए हैं उससे स्पष्ट भी होता है।

बलात्कार पीड़िता युवती कहती है, बजाय दोषियों के भाजपा विधायक के इशारे पर मेरे पिता को ही गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ जेल में जमकर मारपीट की गई, क्योंकि वो केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। विधायक के गुंडों द्वारा पुलिस की मिलीभगत में की गई पिटाई से पीड़िता के पिता की मौत हुई है, ताकि वो डरकर केस वापस ले लें।

इस बलात्कार कांड में लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद योगी की पुलिस सिर्फ विधायक के भाई अतुल सिंह को ही गिरफ्तार कर पाई, जो इस गैंगरेप में शामिल रहा है।

बलात्कार का आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेगुलर संघ की शाखाओं में जाता है, जिसका प्रमाण इस खबर के साथ लगा फोटो है। कहा जा रहा है कि संघ ही भाजपा को संचालित करता है, इसलिए योगी उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाये।

हालांकि वह अपने अब तक के पूरे राजनीतिक कैरियर में कई पार्टियों में आते जाते रहे, मगर विचारधारा से शुद्ध संघी रहे। संघ से वे कभी जुदा नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हाईकमान के ऑर्डर पर ही कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी नहीं हुई। योगी तो सिर्फ पीएमओ के निर्देश पर चलते हैं और पीएमओ संघ से निर्देशित होता है।

गौरतलब है कि जब 3 अप्रैल को बलात्कार पीड़िता के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनसे पुलिस द्वारा जबरन एक कागज पर अंगूठा लगवाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस हिरासत में ही पीड़िता के पिता की मौत के बाद सामने आये इस वीडियो में घायल अवस्था में अस्पताल में बेसुध पड़े उसके पिता से जबरन अंगूठा लगवाया जा रहा है। बलात्कार पीड़िता के पिता ने पुलिस के सामने बयान भी दिया था कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर और उसके अन्य भाइयों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है, ताकि बलात्कार का आरोप वापस ले लें। जगह—जगह गंभीर चोट के निशान भी वीडियो में नजर आ रहे हैं।

इतना सब हो जाने के बावजूद सूबे के मुखिया योगी कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधायक को ही गिरफ्तार न करवाना उन्हीं पर सवाल खड़े करता है। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि योगी सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद

शेष पेज दो पर

संघी सुरक्षा घेरे में विधायक कुलदीप सेंगर

तुम किसके साथ हो ? तुम राजपूत हो ?

तुम्हारी वाल पर उन्नाव के उस गुंडे विधायक के बारे में कुछ क्यों नहीं है जिस पर 16 बरस की एक गरीब लड़की (वह भी राजपूत ही है) ने बलात्कार की शिकायत की है ? जिसके पिता को विधायक के गुंडों और राजश्त सीमए योगी की पुलिस ने न्याय माँगने पर पीट पीट कर मार डाला !

तुम सिर्फ राजा महाराजाओं माफियाओं की किस्म के राजपूतों के साथ हो ? किसी गरीब राजपूत के नहीं ?

तुम न राजपूत हो न इन्सान, तुम कुछ और हो !